

प्रेषक,

के० रविन्द्र नायक,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग-2

लखनऊ :: दिनांक 30 अप्रैल, 2025

विषय-मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा वाद संख्या ओ०ए० 394/2022 के संदर्भ में जारी आदेश दिनांक 13.08.2024 के क्रम में नियुक्त ओवरसाइट कमेटी की संस्तुतियों/आदेशों का अनुपालन कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

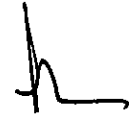
उल्लेखनीय है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित वाद संख्या ओ० ए० 394/2022 पुष्पेद्र कुमार बनाम खण्ड विकास अधिकारी, कदौरा व अन्य में गठित ओवरसाइट कमेटी की संस्तुतियों के बिन्दु संख्या 8(i) में प्रदेश के समस्त गो आश्रय स्थलों में संरक्षित अभिलेखों की एकरूपता के दृष्टिगत सम्पूर्ण प्रदेश में एक समान प्रारूप पर पंजिकायें तैयार करके उनमें सूचनाएँ अभिलिखित करने की संस्तुति की गयी है।

2- प्रदेश के सभी गो आश्रय स्थलों तथा उनमें संरक्षित गोवंशों के रख-रखाव, भरण-पोषण एवं उपचार के संबंध में ऑनलाइन रियल टाईम मॉनिटरिंग हेतु गो आश्रय पोर्टल तथा केन्द्रीय परियोजना अनुश्रवण इकाई पशुपालन निदेशालय स्तर पर क्रियाशील है, जिसमें संबंधित गो आश्रय स्थलों के सचिव तथा पशु चिकित्साधिकारी/ मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा संगत सूचनायें ऑनलाइन प्रविष्ट कराई जा रही हैं। साथ ही गो आश्रय पोर्टल पर प्रदर्शित आंकड़ों तथा भौतिक पंजिकाओं में दर्ज आंकड़ों में एकरूपता बनाये रखना भी आवश्यक है।

3- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया संलग्न प्रारूप-1, प्रारूप-2, प्रारूप-3, प्रारूप-4, प्रारूप-5 एवं प्रारूप-6 के अनुसार प्रदेश के समस्त गो आश्रय स्थलों में अभिलेखीकरण में एकरूपता के दृष्टिगत गोवंश/टैगिंग पंजिका, भूसा, हरा चारा तथा दाना-चोकर (संकेन्द्रित आहार) स्टॉक पंजिका, पशु उपचार पंजिका, टीकाकरण पंजिका, निरीक्षण/भ्रमण पंजिका तथा लेखा बही अभिलेख पंजिकाओं को प्रत्येक गो आश्रय स्थल पर बनवाकर उनमें प्रारूप के अनुसार अद्यतन सूचनाएं तत्काल/शीर्ष प्राथमिकता पर दर्ज कराने की कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,



(के० रविन्द्र नायक)

प्रमुख सचिव।

संख्या 715(1)/सैंतीस-2-2025 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, 30प्र०शासन।
- 2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 3- निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, 30प्र०, लखनऊ।
- 4- निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, 30प्र०, लखनऊ।
- 5- समस्त अपर निदेशक ग्रेड-II पशुपालन विभाग, 30प्र०।
- 6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)

विशेष सचिव।

प्रारूप-1

नये संरक्षित गौवंश लॉग बुक / टैगिंग पंजिका

क्र०स०	दिनांक	गौवंश प्रजाति	उम्र	लिंग	टैग संख्या	स्वास्थ्य की स्थिति	मृत्यु दिनांक	शेड संख्या (जहाँ गौवंश रखा गया)
1								
2								
3								

प्रारूप-2

भूसा / हरा चारा / संकेन्द्रित आहार पंजिका

क्र०सं०	दिनांक	गौवंश संख्या	प्रारंभिक अवशेष कुन्तल / कि०ग्रा०	कय की गई मात्रा कुन्तल / कि०ग्रा०	कुल मात्रा कुन्तल / कि०ग्रा०	दैनिक उपभोग कुन्तल / कि०ग्रा०	अवशेष कुन्तल / कि०ग्रा०	कय की गई मात्रा की दर / कुल धनराशि, रसीद सं० आदि का विवरण	हस्ताक्षर गौशाला प्रबन्धक / पर्यवेक्षक

नोट:—भूसा / हरा चारा / संकेन्द्रित आहार हेतु अलग-अलग पंजिका बनाई जाये। दान में प्राप्त चारा पंजिका पृथक् रूप से बनाई जाये।

प्रारूप-3

उपचार पंजिका

क्र० सं०	दिनांक	गोवंश टैग संख्या	रोग / समस्या	दिया गया उपचार	हस्ताक्षर पशुचिकित्सक	अनुमानित उपचार लागत	परिणाम उपचारित / मृत	टिप्पणी

संलग्नक-4

प्रारूप-4

कैश बुक / आय व्यय पंजिक

दिनांक	अवशेष धनराशि	प्राप्ति का श्रोत	प्राप्त धनराशि	योग	व्यय	व्यय का विवरण	सकल व्यय	अंतिम अवशेष

प्रारूप-5

टीकाकरण पंजिका

दिनांक	टीका का नाम	पूर्व अवशेष टीका डोज	प्राप्त टीका डोज	योग	लगाये गये टीकों की संख्या	अंतिम अवशेष	अभ्युक्ति

प्रारूप-6 भ्रमण/निरीक्षण पंजिका

क्र०सं०	दिनांक	अधिकारी का नाम व पदनाम	भ्रमण/निरीक्षण करने वाले अधिकारी की टिप्पणी	अभ्युक्ति